

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:-प. 27(2)गृह-1/2022

जयपुर, दिनांक:-

गृह (ग्रुप-6) विभाग

शासन सचिवालय, जयपुर


डापरी संख्या1155..

दिनांक ...30/6/23..

आदेश

अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान आसूचना प्रणाली को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता के दृष्टिगत इस संबंध में सुझाव प्रस्तुत करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.02.2023 द्वारा गठित समिति द्वारा राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की पूर्व नियत अवधि में 04 माह की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,



(जगवीर सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री दलपत सिंह दिनकर, (सेवानिवृत्त) महानिदेशक पुलिस, राज0 जयपुर, अध्यक्ष-कमेटी।
5. अति0 महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर, सदस्य-कमेटी।
6. अति0 महानिदेशक पुलिस, इन्टेलिजेन्स, राजस्थान, जयपुर, सदस्य-कमेटी।।
7. महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर, रेंज-जयपुर, सदस्य-कमेटी।।
8. पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (सुरक्षा), राजस्थान, जयपुर, सदस्य सचिव-कमेटी।।
9. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस